समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

-:आदेश:-

श्री शिवकुमार भगत, पिता-स्व0रामाधार भगत, ग्राम-मुरलीगंज गोल बाजार, था0- मुरलीगंज, जिला-मधेपुरा ने अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या 04/1992(मुरलीगंज थाना) का नवीकरण हेतु दिनांक 03.10.2013 को आवेदन समर्पित किया है। आवेदन के साथ शस्त्र अनुज्ञप्ति की छायाप्रति भी संलग्न किया है। प्राप्त आवेदन के आधार पर विवरण निम्नप्रकार है:-

अनुज्ञप्ति संख्या	शस्त्र का प्रकार	पूर्व नवीकृत वर्ष	नवीकरण हेतु आवेदित वर्ष	चलान जमा करने की तिथि	आवेदन की तिथि	विलंब का कारण	विलंब का समय
04/1992 (मुरलीगंज थाना)	दो नाली बन्दूक संख्या- 109886/9511	2011	2012-2014	चलान सं0 71, दिनांक 28.12.2011	03.10.13	परिजन के अस्वस्थ्यता के कारण भूलवश	लगभग 02 वर्ष

श्री भगत से प्राप्त आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि वे 2011 तक नवीकरण कराए हैं और वर्ष 2012-2014 तक के लिए नवीकरण कराना चाहते है। साथ ही विलंब का कारण परिजन् के अस्वस्थ्यता के कारण भूलवश किया गया है, जो विलंब का कोई ठोस आधार नहीं है। जिसके लिए कोई प्रमाण / साक्ष्य समर्पित नहीं किया है। जब कि शस्त्र का समय पर नवीकरण निरीक्षण कराना शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी का दायित्व है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति नवीकरण में विलंब किया गया है। अनुज्ञप्ति का नवीकरण कराए बिना उस पर धारित शस्त्र को अपने पास रखे रहना तथा इसका अवैध उपयोग कर शांति व्यवस्था को भंग करने की अंदेशा से इंकार नहीं किया जा सकता है, जो घोर लापरवाही का द्योतक है तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 5 का उल्लंघन है।

अतएव इस कृत के लिए श्री भगत के नाम से निर्गत अनुज्ञप्ति संख्या 04/1992(मुरलीगंज थाना) को शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (3) के तहत् तत्कालिक प्रभाव से निलंवित किया जाता है तथा उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे संबंधित थाना मालखाना में अपना दो नाली बन्दूक संख्या 109886/9511 जमा करना सुनिश्चित करें। उन्हें यह भी आदेश दिया जाता है कि संबंधित थाना में शस्त्र जमा करने के पश्चात् जमा रसीद समय-समय पर नवीकरण नहीं कराए जाने के कारण (चिकित्सीय /अन्य साक्ष्य) स्पष्ट करते हुए विहित प्रपत्र में विवरण अंकित कर एक सप्ताह के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित करना सुनिश्चित करें। एक सप्ताह के अन्दर सभी वांछित कागजात एवं स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अनुज्ञप्ति को रद्द करने की कार्रवाई कर दी जाएगी।

थानाध्यक्ष, मुरलीगंज को निदेश दिया जाता है कि श्री शिवकुमार भगत, पिता-स्व0रामाधार भगत, ग्राम-मुरलीगंज गोल बाजार, था0- मुरलीगंज, जिला-मधेपुरा के द्वारा शस्त्र जमा किया जाता है तो उसे सुरक्षित मालखाना में जमा रखेंगे एवं उसकी पावती रसीद निर्गत करेंगे।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाए।

ह0/-
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 09 /शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक 5-12-13

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, मधेपुरा एवं आई0टी0मैनेजर, समाहरणालय, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, मुरलीगंज को सूचनार्थ एवं थाना में संधारित शस्त्र पंजी में भी उक्त आशय की प्रविष्टि हेतु प्रेषित। वे उक्त अनुज्ञप्तिधारी के पता पर तामिला करा कर उनके निवास स्थान/ पता के संबंध में जाँच कर जाँच प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के माध्यम से समर्पित करेंगे।

प्रतिलिपि : श्री शिव कुमार भगत, पिता-स्व0 रामाधार भगत, सा0+था0- मुरलीगंज, जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 5/12/13

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।